न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
1 / 2019	24 / 01 / 2019	03 / 09 / 2025

गोबरीलाल पुत्र श्री बजरंगा जाति ब्राहम्ण निवासी गुवाडी तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री सत्यनारायण मीणा एड0।

वाद पत्र धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी के पिता स्व. श्री बजरंगा पुत्र गेंदीलाल की खातेदारी मे ग्राम गुवाडी तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) की सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2028 खाता संख्या 13 मे खसरा संख्या 20 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 21 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 73 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा. खसरा संख्या 85 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 194 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 157/233 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित थी। जिस पर श्री बजरंगा जीवनपर्यन्त काबिज काश्त रहे एवम् उनकी की मृत्यु के उपरान्त वादी वर्तमान पर्यनत काबिज काश्त है। यह कि भू प्रबन्धन संक्रिया सम्वत् 2041 से 2060 के फलस्वरूप उक्त भूमि के नवीन खसरा संख्या 18 रकबा 1.83है.. खसरा संख्या 125 रकबा 0.91है., खसरा संख्या 155 रकबा 0.08है. , खसरा संख्या 227 रकबा 1.45है., खसरा संख्या 288 रकबा 1.22है. कुल खसरा संख्या 5 रकबा 5.49है. पैमूद किए गए।

यह कि भू– प्रबन्धन संक्रिया सम्वत् 2041–2060 के उपरान्त गत एवम् नवीन खसरा की मिलान तालिका निम्नवत् है –रू

गत ख.सं.	रकबा (है. मे होता है)	नवीन ख.सं.	रकबा	कमी / बेशी
20	81) बीघा (1.32है.)	18	1.83है.	+1.448
21	1) 3 बीघा (0.07है.)			
73	5111) बीघा (0.92है.)	125	0.91है.	–0.01है,
85	11) 3 बीघा (0.11है.)	155	0.08है.	–0.03है.
194	711) 1 बीघा (1.21है.)	288	1.22.है0	+0.01है.
157 233	10।।।) 3 बीघा (1.76 हैं.)	227	1.45है.	–0.31है.
कुल किता	कुल रकबा	कुल किता	कुल रकबा	कुल
6	331)4 बीघा अर्थात् 5.39है.	5	5.49है.	+0.10है.

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित अनुसार विवादित भूमि का मौके की स्थिति के अनुरूप गत रकबे के मुकाबले ही राजस्व अभिलेख मे रकबा दुरस्ती कर वादी को गत रकबे के मुकाबले ही भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज किया जावे।

वादी की ओर से वाद श्री सत्यनारायण मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। तहसीलदार पीपल्दा की ओर से जवाब सरकार प्राप्त है। शामिल पत्रावली है।

जवाब सरकार निम्नानुसार हैः– पटवार हलका रिपोर्ट अनुसार वादी खातेदार के पूर्व सेटलमेंट कुल खाते का रकबा 33.09 बीघा भूमि अर्थात 5.42है0, भूमि खाते दर्ज थी बाद सेटलमेंट उक्त खाते में कुल रकबा 5.49हे0 दर्ज होने से 0.07है0 रकबा खाते में बेशी दर्ज हुआ है इस प्रकार बेशी रकबे को कमी 0.07है0, ख0नं0 (हाल) 18 में सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने पर की जा सकती है। पत्रावली बहस हेतु की गई।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के कथनों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के मनन व अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गत भू–प्रबंध के समय ग्राम गुवाडी तह0 पीपल्दा के ख0नं0 20, 21, 73, 85, 194, 157 / 233 कुल किता 6 कुल रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा (5.42है0) का वर्तमान भू–प्रबंध के मिलान क्षेत्रफल से बने ख0नं0 18 रकबा 1.83है0, ख0नं0 125 रकबा 0.91है0, ख0नं0 155 रकबा 0.08है0, ख0नं0 288 रकबा 1.22है0, ख0नं0 227 रकबा 1.45है0, कुल किता 5 कुल रकबा 5.49है0 बना है जो कि गत भू–प्रबंध के मुकाबले 0.07है0 बेशी है। जो कि ख0नं0 18 रकबा 1.83 से 0.07है0 रकबा सिवायचक खाता सरकार दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गुवाडी तह0 पीपल्दा के ख0नं0 18 रकबा 1.83है0 में से 0.07हे0 रकबा सिवायचक खाता सरकार दर्ज किया जावे। ख0नं0 18 का शेष रकबा 1.76 बदस्तूर जमाबन्दी रखे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.9.25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
1/2019	24/01/2019	03/09/2025

गोबरीलाल पुत्र श्री बजरंगा जाति ब्राहम्ण निवासी गुवाडी तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सत्यनारायण मीणा एड0।

वाद पत्र धारा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री सत्यनारायण मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................ मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता कि ग्राम गुवाडी तह0 पीपल्दा के ख0नं0 18 रकबा 1.83है0 में से 0.07है0 रकबा सिवायचक खाता सरकार दर्ज किया जावे। ख0नं0 18 का शेष रकबा 1.76 बदस्तूर जमाबन्दी रखे।

उक्तानुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।

यह डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 03.09.25 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा